न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री चेलाराम, जाति-घांची, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा

पंचायत निगरानी संख्या: 212/2020

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही(प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 30 नवम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 29697 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 25.11.[illegible] बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की [illegible] व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम [illegible] तहत अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested

....पेज दो पर

संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पूर्व से ही आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या-2 अपने परिवार के साथ निवास करती है। अप्रार्थी संख्या-2 साधन सम्पन्न परिवार की है, इस कारण से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड पाने की पात्रता नही रखती है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछडे वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 4()पीसी/पराविं/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है, वे ही व्यक्ति इस नियम के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)पराविं/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नही, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि अनुरुप नही है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखती है जिसकी पुष्टि इस प्रकरण में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, [illegible] व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा [illegible] स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, [illegible] पिण्डवाडा की निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प [illegible] 7 दिनांक 05.6.2017 को एवं इसके

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested

अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जो विक्रय विलेख जारी कर निष्पादित किया है वह पूर्ण रुप से सही व नियमों के अनुरुप जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखती थी। अप्रार्थी संख्या-2 के पति चेलाराम ने दिनांक 07.10.2009 को ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मेरे आवास हेतु कोई भूखण्ड नही है, इसलिये मेरे कब्जेशुदा भूखण्ड का शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जावे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उस समय पट्टा जारी नही किया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, वाटेरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुराने कब्जे की भूमि का डी.एल.सी. दर अनुसार शुल्क लेकर पट्टा जारी करने हेतु अनुरोध किया। अप्रार्थी संख्या-2 व अन्य 5 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत, वाटेरा के वार्ड पंच लीलाराम व सरपंच ने प्रत्येक पट्टे को डी.एल.सी. दर अनुसार राशि रुपये तीस-तीस हजार बताई गई तथा वार्ड पंच लीलाराम के कहे अनुसार पन्द्रह-पन्द्रह हजार कुल पैतालीस हजार रुपये वार्ड पंच लीलालराम के बचत बैंक खाते में जमा करवाये तथा राशि रुपये 1,35,000/- वार्ड पंच लीलाराम घर से लेकर गये। इस प्रकार,, अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रश्नगत पट्टे की भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार राशि रुपये 30,000/- अक्षरे रुपये तीस हजार ग्राम पंचायत, वाटेरा के वार्ड पंच को डी.एल.सी. दर अनुसार अदा किये है, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने डी.एल.सी. दर पर पट्टा जारी नही करके रियायती दर अनुसार पट्टा जारी कर रियायती दर अनुसार शुल्क राशि की रसीद दी है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 बी.पी.एल. परिवार की है व उसके परिवार के पास कोई आवासीय मकान नही होने से रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी है। यह कि मौके के फोटोग्राफस प्रस्तुत किये गये है एवं मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा होकर नीवं खोदी हुई है व नीवं भराई की सामग्री मौके पर पडी है। अप्रार्थी संख्या-2 ने निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके कुछ निर्माण भी कराया है। हल्का पटवारी, वाटेरा ने भी अप्रार्थी संख्या-2 के सीमान्त कृषक होने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आती है। अप्रार्थी संख्या-2 के पास पूर्व में कोई कृषि भूमि नही थी। मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा होने होने के कारण व अप्रार्थी संख्या-2 के पास आवास हेतु मकान/भूमि नही होने से ग्राम पंचायत, वाटेरा ने बाद जांच पुराने कब्जे के आधार नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 गरीब, भूमिहीन, मजदूरी पेशा व कमजोर वर्ग की व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम [illegible] या त्रुटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्रा[illegible] द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी [illegible] की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों [illegible] जिस पर अप्रार्थी संख्या--2 का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

नियंत्रण नही था। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, भावरी से पंजीयन भी करवाया है, इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवडा ने निगरानी में अंकित कथनों के समर्थन में निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है, जिसके कारण प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारुप में नही होकर विभागीय पत्र के रुप में प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित किया गया है, जिसको प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नही दी है एवं इस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी आवेदन कानून परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या- 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पट्टा विलेख संख्या 29697 दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्ड्वाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर [illegible] कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा [illegible] मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested

आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश को शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नही की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री शंकरलाल पुत्र केसाजी घांची द्वारा वार्ड पंच श्री लीलाराम पुत्र सोमाजी घांची के बैंक ऑफ बडौदा के खाता संख्या 43650100000108 में दिनांक 28.8.2017, 02.9.2017 व 11.9.2017 को क्रमशः राशि रुपये 15,000/-, 15,000/- 15,000/- (पन्द्रह-पन्द्रह हजार) राशि रुपये 45,000/- (अक्षरे रुपये पैतालीस हजार मात्र) जमा करवाये गये है। अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत रसीदों की छाया प्रति के अवलोकन से भी यह पाया गया कि श्री शंकरलाल ने श्री लीलाराम सोमाजी [illegible] के खाता संख्या 43650100000108 में दिनांक 28.8.2017, 02.9.2017 व [illegible] को क्रमशः राशि रुपये 15,000/-, 15,000/- 15,000/- [illegible] 45,000/- (अक्षरे रुपये पैतालीस हजार मात्र) [illegible] प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि वार्ड पंच

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला [illegible]
सिरोही [illegible]

पंचायत निगरानी संख्याः 212/2020

श्री लीलाराम सोमाजी घांची ने श्री शंकरलाल से पट्टा शुल्क के रुप में स्वयं के बैक खाते में राशि जमा करवाकर नियम विरुद्ध कृत्य किया है, इसलिये प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा को ग्राम पंचायत, वाटेरा के वार्ड पंच श्री लीलाराम सोमाजी घांची के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा जावे।

चूंकि उक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 का रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पंचायत बैठक में निर्णय लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नही है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 29697 **दिनांक 08.6.2017 को निरस्त** किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested